फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय 2024/844 कल्याण [illegible] — होनी

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	2/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 23/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	23/6/25	पत्रावली पेश हुई। एस0डी0ओ0 साहब [illegible] कार्य में व्यस्त है। [illegible] अनुसार दिनांक 30/6/25 को पेश हो।	
	30/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बाद बहस वाद खारिज किया जाता है। जिसका निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 216/2024
निर्णय दिनांक: 30.06.2025

उनवानी

1. कल्याण पुत्र छोटया (फोत)
2. छोटू पुत्र छोटया (फोत)
2/1 श्रीमती भानी देवी पत्नी भंवर लाल शर्मा पुत्री श्री बोदया उर्फ बोदूराम, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी केशोपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान। हाल निवासी ग्राम सरणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमति सोनी बेवा भूरा –फोत (विधिक वारिसान 2 लगायत 4)
2. बंशी लाल पुत्र भूरा (फोत दौराने दावा)
2/1 भैरू राम पुत्र श्री बंशी लाल
2/2 रामबाबू पुत्र श्री बंशीलाल
3. हनुमान पुत्र भूरा – फोत
3/1 जगदीश पुत्र हनुमान
3/2 रामस्वरूप पुत्र हनुमान
4. धन्ना लाल पुत्र भूरा
कौम ब्राह्मण हरियाणा, निवासी केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. सरकार राजस्थान जरिए तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. जयपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव, कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर, जेएलएन मार्ग जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा, घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण ने दावा बाबत् तकासमा, घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के बाबा स्वर्गीय बख्शा था। स्वर्गीय बख्शा के दो पुत्र छोटू और झूथा थे। झूथा, रामनाथ के गोद चला गया था। छोटू का स्वर्गवास हुए लगभग 32 वर्ष हो गए। छोटू के पांच पुत्र भूरा, काना, प्रताप, वादीगण हुए थे। प्रताप, छोटू के जीवनकाल में बालू के गोद चला गया था। कानाः का स्वर्गवास 16 वर्ष पूर्व हो गया। काना के पुत्र रामफूल का स्वर्गवा हुए 12 साल का समय हो गया। भूरा का स्वर्गवास 20 वर्ष पूर्व हो गया था। भूरा की बेवा श्रीमती सोनी प्रतिवादी नं 1 और भूरा के तीन पुत्र वंशीलाल, हनुमान और धन्नालाल कमशः प्रतिवादी नं 2,3 और 4 है तथा कान्या के हनुमान गौद चला गया था। वाके ग्राम केशोपुरा , तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण की पेत्रिक कृषि भूमि है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स	मिलान क्षेत्रफल संवत 1996 से 2005	मिलान क्षेत्रफल संवत 1996 से 2005	मिलान क्षेत्रफल संवत 1996 से 2005

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

		36	117
1	26	49	40, 39/907
2	39	82	285 मिन
3	77	344	759, 764, 765
4	367, 381	346	764,
5	382	366	789, 793
6	404	379	825, 826, 830, 844, 845, 846, 847, 843/917
7	397	317/367	700
8	368	317	744, 745, 746, 747
9	337	342	761, 762
10	365		

वाद पत्र के मद नं 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के पिता छोटू के स्वर्गवास के बाद वादीगण का 1/2 हिस्सा था। वादी के भाई काना का 16 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गीय काना के पुत्र रामफूल का अविवाहित स्वर्गवास हो गया। वादी का वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण 1/2, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा है। विवादग्रस्त आराजीयात् में वादीगण के पूर्वज कल्याण व बोदू उर्फ बोद्या का 1/2 हिस्सा रहा है क्योंकि कल्याण विवाहित रहा और विवाहित रहने के दौरान सदैव बोद्या के पास ही रहा तथा सहखातेदारों द्वारा भी अपनी उक्त शामलाती कृषि भूमि में 1/2 की खातेदारी कल्याण व बोद्या के नाम रखी तथा कल्याण ने अपने जीवन काल में उक्त सम्पत्ति वादिया को सुपुर्द कर दी गई और मौके पर कब्जा सम्भला दिया गया। दौराने वाद वादिया के हक में एक वसीयत तहरीर व तकमील कर दी गई जिस पर कभी भी अन्य सहखातेदारों द्वारा आपत्ति, एतराज नहीं किया गया। प्रतिवादी नं 2 ने हनुमान, धन्ना, बोदया, कल्याण के विरूद्ध तकासमा, घोषणा एवं निषेधाज्ञा का दावा अप्रेल 1986 में सहायक जिलाधीश, जयपुर की अदालत में पेश किया है। दावा एवं राजस्व रिकार्ड वादीगण ने अपने अभिभाषक को दिखाया जिन्होने वादीगण को यह जानकारी, दी थी कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी हनुमान को काना का पुत्र जाहिर कर राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान का नाम दर्ज कराया गया। वादीगण को धोखा देकर वादीगण से धन्ना पुत्र भूरा प्रतिवादी नं 4 के हक में खसरा नम्बर 379, रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बरान् 825, 826, 830, 844, 845, 846, 847, 843/917 के 1/2 हिस्से का फर्जी व कूटरचित त्याग पत्र निर्वती दिनांक 16.08. 82 तहरीर करवाया गया जिसके आधार पर धना ने अपने नाम से खातेदारी दर्ज कर उक्त भूमि का बेचान अन्य को कर दिया गया। दौराने वाद उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि भु–अवाप्ति अधिकारी द्वारा सन् 1988 में नवसृर्जित ट्रक टर्मिनल योजना जो कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा नवसृर्जित की जा रही थी उसके लिए अवाप्त की गई जिसके कारण वादी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया व न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बतौर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 6 संयोजित किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादीगण के खसरा नम्बर 379 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बरान् 825, 826, 830, 844, 845, 846, 847, 843/917 के 1/2 हिस्से का कभी त्याग नहीं किया और न त्याग तहरीर कराकर रजिस्ट्री कराया है। यह दस्तावेज फर्जी है। हकत्याग पत्र करने का अधिकार वादिया के पिता बोदया व चाचा कल्याण को कतई प्राप्त नहीं था क्योंकि उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें जन्म से ही 'वादिया का हक व अधिकार निहित है तथा उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 के विरूद्ध जाकर प्रतिवादी संख्या 4 ने वादिया के पिता व चाचा से फर्जी व कूटरचित हकत्याग अपने नाम से तहरीर व

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तकमील करवाया है जो कि अवैध व प्रभावहीन दस्तावेज है और वादिया के पिता व य चाचा ने अपने जीवनकाल में ही उक्त फर्जी व कूटरचित दस्तावेजात् को चुनौती दी गई है। उपरोक्त त्याग पत्र निम्न कारणों से वोयड एवं इनिशिओ है:- राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी हकूक हस्तान्तरण करने का प्रावधान उनके अलावा खातेदारी हकूक हस्तान्तरण किए जाने योग्य नहीं है। त्याग पत्र द्वारा खातेदारी हकूक ट्रांसफर कानूनन नहीं होते है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात् पैतृक कृषि भूमि है। वादिया बोदया की जायन्दा वारिस है तथा कल्याण द्वारा उक्त सम्पत्ति वादिया के हक में निर्वत किया गया है। राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार द्वारा दूसरे खातेदार काश्तकार के हक में खातेदारी हकूक त्याग करने का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तराधिकार अधिनियम के बाहर जाकर फर्जी व कूटरचित तरीके से उक्त हकत्याग पत्र करवाने का अधिकार कतई प्राप्त नहीं है। खातेदार काश्तकार केवल लेन्ड होल्डर को अपने खातेदारी हकूक त्याग (सरेन्डर) कर सकता है लेन्ड होल्डर की स्वीकृति खातेदारी हकूक का सरेन्डर अवैध है। तथाकथित त्याग पत्र दिनांक 16.08.82 फर्जी दस्तावेज है। वादीगण द्वारा यह दस्तावेज तहरीर नहीं कराया गया है। उक्त फर्जी व कूटरचित हकत्याग पत्र को सिविल न्यायालय में निरस्त करने बाबत् अपने अधिकारों हेतु पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 धन्ना पुत्र 'भूरा ने उक्त फर्जी व कूटरचित हकत्याग पत्र निर्वती के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अमल दराज 'करा लिया। जानकारी होने पर वादिया के पिता व चाचा द्वारा सन् 1987 में श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त वादं पत्र प्रस्तुत किया गया व श्रीमान न्यायालय ने उक्त वाद पत्र में दिनांक 12.02.1988 को अन्तरित आदेश देते हुए उक्त भूमि को बेचान हेतु पाबंद किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त भूमि का न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए तथा अवाप्तशुदा भूमि का बेचान सन् 1990 में किया गया। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 6 के नाम से दर्ज है।. प्रतिवादी नम्बर 2 बंशी ने अपने पुत्र भैरू को बोदया वादी संख्या 2 का दत्तक पुत्र होना जाहिर करना आरम्भ कर दिया है। भैरू बोदया वादी नं 2 का दत्तक पुत्र नहीं है। ना ही बोदया ने अपने जीवनकाल में भेरू को गोद लिया है। प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 15 को प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया है क्योंकि कोठियों में उनका हिस्सा है। (जिनका नाम दौराने वाद हज्फ किया गया है।) वादीगण को यह अधिकार हासिल है कि वादीगण यह घोषणा करावे कि वादीगण का वाद पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा है। वादीगण को यह भी अधिकार हासिल है कि वादीगण कृषि भूमि मुतदाविया हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीगण को यह भी अधिकार हासिल है कि वादीगण प्रतिवादी नं 1 लगायत 6 को निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि के पट्टे जारी कर, जारी करवाकर अन्य को बेचान नहीं करे तथा मुआवजा व प्रतिफल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विरूद्ध दावा दिनांक 16.8.82/17.08.1982 को पैदा हुआ जब जब बराहे बदनियती धन्ना के हक में खसरा नम्बर 379 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बरान् 825, 826, 830, 844, 845, 846, 847, 843/917 के 1/2 हिस्से का त्याग पत्र दिनांक 16.8.82 तहरीर कराकर सब रजिस्टार से दिनांक 17.8.82 को पैदा हुआ जिसकी जानकारी वादिया को दिनांक को होने पर उक्त वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः वादीगण का वाद बाबत् हक इस्तकरार डिग्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे कि कृषि भूमि मुतदाविया के वादीगण खातेदार काश्तकार है और वादीगण का 1/2 हिस्सा है और यह भी घोषित किया जावे कि त्याग पत्र दिनांक 16, 17 जून सन् 1982 से वादीगण पाबंद नहीं है। कृषि भूमि मुतदाविया का विभाजन किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से पर वाकई कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कराया जावे। निषेधाज्ञा से प्रतिवादी नं 1 लगायत 4 को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि के पड़े प्रतिवादी संख्या 6 से जाती नहीं करावे तथा प्रतिवादी संख्या 6 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीमात् का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व अन्य व्यक्ति/संस्था के हक में मुआवजा राशि जारी नहीं करे, ना ही प्रतिफल राशि जारी करे, ना ही पड़े जारी करे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 15.10.1988 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से इस आशय से जवाब पेश किया है कि काना के रामफूल नामक कोई लडका नही था काना को मरे हुए भी करीब 25 वर्ष से अधिक हो गये है काना के जीवनकाल में उसके कोई पुत्र पैदा नही हुआ था इसलिए काना ने अपने जीवनकाल में ही हनुमान जो काना के भाई का लडका था को गोद ले लिया था। हनुमान ही काना का दत्तक पुत्र है काना की मृत्यु के 1 5 वर्ष पश्चात काना की बेवा मु0 म्होरी के मनफूल नाम लडका हुआ। और मनफूल भी नाबालिक ही मर गया। काना का वारिस उसका दत्तक पुत्र हनुमान ही है। काना ने अपने जीवनकाल में ही हनुमान जब 4 साल का ही था तब जाति की रीतिरिवाज के अनुसार गोद ले लिया और अनुमान के ही काना की पगडी बंधी थी । हनुमान ही काना का दत्तक पुत्र होने कारण वारिस है स्वयं काना की पत्नी मु0 म्होरी ने हनुमान व मनफूल के नाम नामन्तरकरण भी खुलवा दिया था मनफूल का भी देहवसान हो चुका है। म्होरी बेवा काना को भी मरे 16 वर्षो से अधिक हो गये है। म्होरी का चाल चलावा भी उसके दत्तक पुत्र हनुमान ने ही किया है हनुमान को भूरा ने काना के गोद दे दिया था काना व मु0 म्होरी ने हनुमान को गोद ले लिया था। हनुमान के गोद जाने के पश्चात भूरा के केवल दो ही पुत्र वंशी व धन्नालाल ही है। खसरा नम्बर 379 रकबा 9 बिघा 12 बिस्वा से वादीगण का कोई सम्बंध नही रहा है। काना का स्वर्गवास हुये करीब 25 वर्ष से भी अधिक हो गये है रामफूल नामक काना का कोई पुत्र ही नहीं था. काना का पुत्र हनुमान ही है वही वारिस है काना की मृत्यु के पश्चात् काना का दत्तक पुत्र हनुमान ही एक मात्र था, मु० म्होरी बेवा काना ने काना की मृत्यु के पश्चात् आराजी मुतदाविया का नामान्तरणकरण हनुमान के नाम व मनफूल के नाम खुलवा दिया था. मनफूल की मृत्यु के पश्चात् भी केवल हनुमान ही काना व मु० म्होरी का दत्तक पुत्र होने के कारण मनफूल का भाई होने के कारण एकमात्र काना की जायदाद का मालिक व वारिस है काना की सम्पत्ति में वादी गण को कोई उत्तराधिकार पैदा नहीं होता है। हनुमान, काना के गोद गया हुवा है और काना का दत्तक पुत्र है इसका इल्म वादीगण को शुरू से ही है प्रतिवादी नं0 2 को दावा करने पर इल्म हुआ हो यह बात सरासर गलत है। वादीगण ने स्वंय ने कारा न मार 379 का हस्तान्तरण अपनी स्वेच्छा से किया है स्वंय वादीगण ने त्यागपत्र दिनांक : 16.08.1982 को प्रतिवादी नं0 3 धन्ना के हक कर अपना कोई सम्बन्ध उक्त आराजी में न होना एंव प्रतिवादी धन्ना का ही कब्जा होना व मालिकान हक होना माना है एवंम् उपजियक के समक्ष त्यागपत्र का पंजीयन स्वंय वादीगण ने कराया है एवं स्वंय वादी गण ने नामान्तरणकरण भी प्रतिवादी धन्ना के नाम कराया है वादीगण ने आराजी खलरा नम्बर 379 में अपना कोई हक न मान कर स्वेच्छा से उक्त भूमि में अपने हिस्से को धन्ना के नाम दे दी जो स्वंय वादीगण की स्वीकारोक्ति है वादी गण उक्त हस्तान्तरण की स्वीकारोक्ति से बाध्य है एवं उसे चेलेन्ज नहीं कर सकता है। वादीगण का कथन की दस्तावेज फर्जी है सर्वथा गलत है वादी गण की निययत में बेईमानी आ गई है और वह अपने द्वारा किये गये हस्तान्तरण को त्यागपत्र कानून न होना कहकर जबरन दखल करना चाहता है जबकि वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है उक्त त्यागपत्र जो एक वैधानिक हस्तान्तरण का दस्तावेज है कानून सही एवं प्रभाव में है वादीगण उसे चैलेन्ज करने के अधिकारी नहीं है न ही पंजियक दस्तावेज

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

को चुनौति राजस्व न्यायालय मे ही दी जा सकती है। वादीगण उक्त दस्तावेज से बाध्य है। वादीगण ने जो कारण दिये है उनकी आड से वादीगण को कोई लाभ नहीं मिलता है न ही उक्त दस्तावेज त्यागपत्र दिनांक : 16.08.1982 वोईड ही है न ही प्रस्तुत कारण कई जो वादी गण ने दिये है वह वादीगण द्वारा किये गये दस्तावेज पर लागू ही होते है। हनुमान को काना एवं उसकी स्त्री म्होरी ने गोद लिया था स्वंय म्होरी ने हनुमान को अपना पुत्र मानते हुये नामान्तरणकरण खुलवाया है एवं उसे अपने जीवनकाल में म्होरी ने कभी चुनौति नहीं दी है एवं मनफूल की मृत्यु के बाद भी नामान्तरणकरण हनुमान का नाम उसका भाई होने के कारण खुला है जो वादीगण की जानकारी में है वादी मृतक काना के हिस्से को चुनौती देने के अधिकारी नही है। आराजी खसरा नंबर 379 को स्वंय वादीगण ने बाया त्यागपत्र का पंजीयन नामांकन भूमि का हस्तान्तरण मिन प्रतिवादी धन्ना सहकृषक के पक्ष में किया है। पंजीयन दस्तावेज को वादीगण राजस्व न्यायालय मे चेलेन्ज करने के अधिकारी नही है। न ही दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य है। वर्तमान बन्दोवस्त में भी सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 07.02.1986 को खसरा नम्बर 379 में वादीगण के हिस्से का हस्तान्तरण प्रतिवादी धन्ना के हक मैं मानते हुये राजस्व अभिलेख में धन्ना का नाम वादीगण के हिस्से पर करने का आदेश प्रदान कर दिया है। वादीग्ण का कोई सम्बन्ध उक्त भूमि मुताविया से नही रहा है। अतः वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सूनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वाद बावत् हक इस्तकरार डिग्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नं 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे कि कृषि भूमि मुतदाविया के वादीगण खातेदार काश्तकार है और वादीगण का 1/2 हिस्सा है और यह भी घोषित किया जावे कि त्याग पत्र दिनांक 16, 17 जून सन् 1982 से वादीगण पाबंद नहीं है। कृषि भूमि मुतदाविया का विभाजन किया जाकर वादीगण को 1/2 हिस्से पर वाकई कब्जा कराया जावे। निषेधाज्ञा से प्रतिवादी नं 1 लगायत 4 को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि के पट्टे प्रतिवादी संख्या 6 से जारी नहीं करावे तथा प्रतिवादी संख्या 6 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे बादग्रस्त आराजीयात् का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4. व अन्य व्यक्ति/संस्था के हक में मुआवजा राशि जारी नहीं करे, ना ही प्रतिफल राशि जारी करे, ना ही पट्टे जारी करे। प्रतिवादीगण ने वर्तमान बन्दोवस्त में भी सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 07.02.1986 को खसरा नम्बर 379 में वादीगण के हिस्से का हस्तान्तरण प्रतिवादी धन्ना के हक मैं मानते हुये राजस्व अभिलेख में धन्ना का नाम वादीगण के हिस्से पर करने का आदेश प्रदान कर दिया है। वादीग्ण का कोई सम्बन्ध उक्त भूमि मुताविया से नहीं रहा है। इसलिए वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि काना के रामफूल नामक कोई लडका नही था काना को मरे हुए भी करीब 25 वर्ष से अधिक हो गये है काना के जीवनकाल में उसके कोई पुत्र पैदा नही हुआ था इसलिए काना ने अपने जीवनकाल में ही हनुमान जो काना के भाई का लडका था को गोद ले लिया था। हनुमान ही काना का दत्तक पुत्र है काना की मृत्यु 15 वर्ष पश्चात काना की बेवा मु0 म्होरी के मनफूल नाम लडका हुआ। और मनफूल भी बालिक ही मर गया। काना का वारिस उसका दत्तक पुत्र हनुमान ही है। काना का स्वर्गवास को करीब 25 वर्ष से भी अधिक हो गये है रामफूल नामक काना का कोई पुत्र ही नहीं था. काना का पुत्र हनुमान ही है वही वारिस है काना की मृत्यु के पश्चात् काना का दत्तक पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हनुमान ही एक मात्र था, मु० म्होरी बेवा काना ने काना की मृत्यु के पश्चात् आराजी मुतनाजिया का नामान्तरणकरण हनुमान के नाम व मनफूल के नाम खुलवा दिया था, मनफूल की मृत्यु के पश्चात् भी केवल हनुमान ही काना व मु० म्होरी का दत्तक पुत्र होने के कारण मनफूल का भाई होने के कारण एकमात्र काना की जायदाद का मालिक व वारिस है काना की सम्पत्ति में वादी गण को कोई उत्तराधिकार पैदा नहीं होता है। हनुमान, काना के गोद गया हुआ है और काना का दत्तक पुत्र है इसका इल्म वादीगण को शुरू से ही है खसरा नम्बर 379 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा से वादीगण का कोई सम्बंध नहीं रहा है। हनुमान, काना के गोद गया हुआ है और काना का दत्तक पुत्र है इसका इल्म वादीगण को शुरू से ही है प्रतिवादी नं0 2 को दावा करने पर इल्म हुआ हो यह बात सरासर गलत है। वादीगण ने स्वंय ने कारा न मार 379 का हस्तान्तरण अपनी स्वेच्छा से किया है स्वंय वादीगण ने त्यागपत्र दिनांक 16.08.1982 को प्रतिवादी नं0 3 धन्ना के हक कर अपना कोई सम्बन्ध उक्त आराजी में न होना एंव प्रतिवादी धन्ना का ही कब्जा होना व मालिकान हक होना माना है एवंम् उपंजियक के समक्ष त्यागपत्र का पंजीयन स्वंय वादीगण ने कराया है एवं स्वंय वादी गण ने नामान्तरणकरण भी प्रतिवादी धन्ना के नाम कराया है वादीगण ने आराजी खलरा नम्बर 379 में अपना कोई हक न मान कर स्वेच्छा से उक्त भूमि में अपने हिस्से को धन्ना के नाम दे दी जो स्वंय वादीगण की स्वीकारोक्ति है वादीगण उक्त हस्तान्तरण की स्वीकारोक्ति से वाध्य है एवं उसे चेलेन्ज नहीं कर सकता है। वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है उक्त त्यागपत्र जो एक वैधानिक हस्तान्तरण का दस्तावेज है कानून सही है एवं प्रभाव में है वादीगण उसे चैलेन्ज करने के अधिकारी नहीं है उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि वादीगण का वाद बाबत् वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 117, 40, 39/907, 285 मिन, 759, 764, 765, 789, 793, 825, 826, 830, 844, 845, 846, 847, 843/917, 7020, 744, 745, 746, 747, 761, 762 खारिज किया जाता है। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर